



Neutral Citation No. - 2026:AHC:32410

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

क्रिमिनल मिस्ले. एंटीसिपेटरी बेल अप्लीकेशन अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस.

सं. - 1449 वर्ष 2026

राकेश बिंद

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : रत्नेश कुमार जायसवाल

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. अधिवक्ता श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने सूचनादाता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
2. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नेश कुमार जायसवाल, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री चंदन सिंह और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह की दलीलें सुनीं और संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. यह अग्रिम जमानत याचिका आवेदक राकेश बिंद की ओर से दायर की गई है, जिसमें जिला मिर्जापुर के थाना कछवा में दर्ज मुकदमा अपराध सं. 101 सन् 2024, अन्तर्गत बी.एन.एस. की धारा 351(2), 308(5) और आई.टी. अधिनियम की धारा 67 में अग्रिम जमानत की मांग की गई है, और यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि यह दूसरी अग्रिम जमानत याचिका है। इससे पहले आवेदक ने अभियोग पत्र दाखिल होने से पहले आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. सं. 10161 सन् 2024 दायर करके इस न्यायालय से संपर्क

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया था और इस न्यायालय ने अपने दिनांक 28.07.2025 के आदेश द्वारा आरोप पत्र दाखिल होने तक आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की थी। अब आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आवेदक ने यह अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है और उसे आशंका है कि उसे उपरोक्त मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि उसके खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और वह विचारण न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

5. विद्वान ए.जी.ए. और साथ ही सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है। यह भी निवेदन किया गया है कि जांच के दौरान विवेचना अधिकारी द्वारा निर्णायक सबूत एकत्र किए गए हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि आवेदक फरार है और संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हो रहा है, जिसके कारण उसके खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया गया है, इसलिए वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।

6. सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश बनाम प्रदीप शर्मा 2014 (2) एससीसी 171 में यह माना है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध उद्घोषणा जारी की गई है और धारा 82/83 दंड प्रक्रिया के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, वह अग्रिम जमानत का लाभ पाने का हकदार नहीं है। पैरा 14 से 16 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

“14. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, संहिता की धारा 438 का संदर्भ लेना

उचित होगा, जो इस प्रकार है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“438. गिरफ्तारी की आशंका रखने वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश- (1)

यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसे किसी गैर-जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के तहत निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए; और वह न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कारकों पर विचार करने के बाद, ऐसा करे अर्थात्:

(i) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;

(ii) आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि क्या वह पहले किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास भुगत चुका है;

(iii) आवेदक के न्याय से भागने की संभावना; और

(iv) जहाँ आवेदक को इस प्रकार गिरफ्तार करवाकर उसे चोट पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से आरोप लगाया गया हो, वहाँ आवेदन को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाए या अग्रिम जमानत देने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया जाए:

बशर्ते कि, जहाँ उच्च न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, सत्र न्यायालय ने इस उपधारा के अंतर्गत कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है या अग्रिम जमानत देने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, वहाँ पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को ऐसे आवेदन में लगाए गए आरोप के आधार पर आवेदक को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार होगा।”

उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि संहिता की धारा 438 के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली शक्ति कुछ असाधारण प्रकृति की है और इसका प्रयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए जहाँ यह प्रतीत होता हो कि व्यक्ति को झूठा फंसाया जा सकता है या जहाँ यह मानने के लिए उचित आधार हों कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा अन्यथा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की संभावना नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

15. एड्री धरन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(2005) 4 एससीसी 303] में इस न्यायालय ने संहिता की धारा 438 के दायरे पर निम्नानुसार विचार किया: (एससीसी पृष्ठ 311-12, पैरा 16)

“16. धारा 438 एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ऐसे व्यक्ति को निर्दोष होने की दलील देने का अधिकार है, क्योंकि संहिता की धारा 438 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए आवेदन की तिथि पर वह उस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है जिसके लिए वह जमानत मांग रहा है। आवेदक को यह दिखाना होगा कि उसे यह 'विश्वास करने का कारण' है कि उसे गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। 'विश्वास करने का कारण' पद का प्रयोग यह दर्शाता है कि आवेदक की गिरफ्तारी की आशंका उचित आधारों पर आधारित होनी चाहिए। मात्र 'उर' 'विश्वास' नहीं है, इसलिए आवेदक के लिए यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि उसे किसी प्रकार की अस्पष्ट आशंका है कि कोई उसके खिलाफ आरोप लगाएगा जिसके परिणामस्वरूप उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। आवेदक के इस विश्वास के आधार कि उसे गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, जांच योग्य होने चाहिए। यदि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन किया जाता है, तो संबंधित न्यायालय को यह तय करना होता है कि मांगी गई राहत देने के लिए मामला बनता है या नहीं। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इन प्रावधानों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सामान्यतः कोई व्यापक आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। यह धारा की भाषा से ही स्पष्ट है, जिसमें आवेदक को यह साबित करना आवश्यक है कि उसे यह विश्वास करने का कारण है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी विश्वास को उचित आधार पर तभी माना जा सकता है जब कोई ठोस प्रमाण हो जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आवेदक की गिरफ्तारी की आशंका वास्तविक है। सामान्यतः ऐसा निर्देश जारी नहीं किया जाना चाहिए कि आवेदक को किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाए। ऐसा व्यापक आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह कथित तौर पर हर प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को छिपाने या संरक्षित करने का काम करेगा। धारा 438 के तहत आदेश व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का एक साधन है, यह न तो अपराध करने का पासपोर्ट है और न ही संभावित या असंभावित सभी प्रकार के आरोपों से बचाव का कवच है। उपरोक्त वर्णित कानूनी स्थिति के संदर्भ में मामले के तथ्यों पर विचार करने पर, प्रथम दृष्टया यह ऐसा मामला प्रतीत नहीं होता है जिसमें संहिता की धारा 438 के तहत कोई आदेश पारित किया जा सके।”

16. हाल ही में, लवेश बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) [(2012) 8 एससीसी 730] में, इस न्यायालय (जिसमें हम दोनों पक्षकार थे) ने धारा 82 के तहत भगोड़ा या घोषित अपराधी घोषित व्यक्ति के संबंध में धारा 438 के तहत राहत प्रदान करने के दायरे पर विचार किया। पैरा 12 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: (एससीसी पृष्ठ 733)

“12. इन सामग्रियों और सूचनाओं से यह स्पष्ट है कि वर्तमान अपीलकर्ता पूछताछ और जांच के लिए उपलब्ध नहीं था और उसे 'फरार' घोषित किया गया था। सामान्यतः, जब आरोपी 'फरार' होता है और उसे 'घोषित अपराधी' घोषित किया जाता है, तो अग्रिम जमानत देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम दोहराते हैं कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया हो और वह वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार हो या छिप रहा हो और संहिता की धारा 82 के तहत उसे घोषित अपराधी घोषित किया गया हो, तो वह अग्रिम जमानत की राहत का हकदार नहीं है। उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि यदि किसी को संहिता की धारा 82 के तहत फरार/घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, तो वह अग्रिम जमानत की राहत का हकदार नहीं है।”

8. हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश बनाम प्रदीप शर्मा (उपरोक्त) और लवेश बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) (उपरोक्त) के मामलों का अवलंब लेते हुए प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य (2022 (14) एससीसी 516 में रिपोर्ट किया गया) में यह धारित किया कि यदि किसी को धारा 82 दं.प्र.सं. के तहत भगोड़ा/घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, तो वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है, भले ही व्यावसायिक लेन-देन में भा.दं.सं.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की धारा 406, 420, 467, 468 आदि के तहत अपराध हों। विचारणीय बिंदु आरोप और अभियोग की प्रकृति है, न कि व्यावसायिक लेन-देन से उत्पन्न होने वाले आरोप की प्रकृति।

9. इस मामले में, अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक के विरुद्ध अपराध करने का विशिष्ट आरोप लगाया गया है और आरोपी-आवेदक आज तक फरार है, जिसके विरुद्ध जमानती वारंट भी जारी किया गया है। अतः, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित विधि सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, अभियोग की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले की मेरिट पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का कोई मामला नहीं बनता है।

10. अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

13 फरवरी, 2026

मुस्तकीम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।